## न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर केम्प, भोपाल (म.प्र.)

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2018/0337 पुनरीक्षण क्र.

1. लाखन सिंह, आयु लगभग 36 वर्ष
   आत्मज श्री रंधीर सिंह बघेल,
2. रंधीर सिंह आत्मज श्री रामसिंह
   निवासीगण – ग्राम वापचा, तहसील लटेरी,
   ज़िला विदिशा (म.प्र.) ....... आवेदक

विरुद्ध

रामस्वरूप वयस्क आ. श्री धीरज सिंह बघेल
निवासी– ग्राम वापचा, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.) ........ अनावेदक

### निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदक न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, लटेरी, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्र. 8/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2017 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है :–

### प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, मण्डल–1, लटेरी के समक्ष एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 250 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 के अधीन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बापचा, प.ह.नं. 18, तहसील लटेरी स्थित भूमि खसरा क्र. 105 रकबा 2.465 हेक्टेयर स्थित है और यह भूमि आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है। आवेदक ने अपने भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की उक्त भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक वृत्त–1 एवं पटवारी हल्का से कराया है जो दिनांक 31.05.2017 को मौके पर मेढ़िया कृषकों को सूचना देकर उपस्थि पंचों के समक्ष सीमांकन किया गया है तथा आवेदक की उक्त भूमि पर अनावेदकगण व अवैध आधिपत्य पाया गया। मौके पर राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा स्थाई सी चिन्ह बनाये गये हैं। अनावेदकगण से अपना अवैध आधिपत्य हटाने के लिये कहा गया, कि वह नहीं माने और अवैध आधिपत्य बनाये हुए हैं तथा आधिपत्य की सहायता चाही ग आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर लेख किया तथाकथित सीमांकन जो दिनांक 31.05.2017 को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा वादित भूमि का किया जाना अंकित किया है वह सीमांकन उनकी उपस्थिति में नहीं कि गया है, ना ही उक्त सीमांकन किये जाने के पूर्व उक्त सीमांकन संबंधी कोई सूचना गया है, ना ही उक्त सीमांकन ... बंधनकारी नहीं है। उक्त भूमि एवं अन्य

**XXXIX(a)-BR(H)-11**

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/337 **जिला** – विदिशा

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| **17.01.2018** | प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार लटेरी ने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत तथा संलग्न दस्तावेजों, सीमांकन पंचनामा के आधार पर प्रकरण को प्रचलन योग्य माना है और अनावेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त आदेश पत्रिका दिनांक 30.11.2017 द्वारा उभयपक्षों की सहमति से मूल सीमांकन प्रकरण मंगाये जाने के निर्देश दिए हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत संहिता की धारा–250 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को प्रचलनशील पाये जाने के निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती हैं।<br><br>प्रशासकीय सदस्य | |